न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30 / 2022 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती ललिता पत्नी मुकेश जी जाट, निवासी काटावाडा रेल्वे स्टेशन मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. अमरचन्द पिता जेता जी जाट, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मुकेश पिता मोहनलाल जी सोनी, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 17.11.2022 प्र. सं. 80/2022

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री एस. पी. गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री शान्तिलाल चपतोल अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 27–09–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अधिकार, कब्जे एवं खातेदारी की आराजी नंबर 192 रकबा 4.3382 हैक्टर गांव भावली, तहसील मावली में स्थित है, जिसके दक्षिण दिशा में आराजी नंबर 193, 317, 318 के पूर्वी पाली पर लगभग 14 फिट का रास्ता सदीप से पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व अन्य खातेदार करते चले आ रहे हैं। आराजी नं. 193 के खातेदार विपक्षी संख्या 1 तारबन्दी कर उक्त रास्ते को [illegible] है। विपक्षी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:19 IST
Reason: SelfAttested

ने उक्त आराजी हीरालाल से क्रय की एवं हीरालाल ने पूर्व खातेदार नारायण व जयचन्द से क्रय की थी। उक्त पूर्व खातेदारों ने कभी भी रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं की, लेकिन नये खातेदार रास्ता बन्द करने पर आमादा है। मौके पर आराजी नंबर 317 व 318 के खातेदार रास्ता नहीं रोक रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 193 जिससे होकर प्रार्थी अपने खाते की आराजी नंबर 192 में पूर्वजों के समय से आते जाते हैं जो करीब 14 फिट चौड़ा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17–11–2022 को निर्णय पारित करते हुए डी.एल.सी. दर से दुगनी कीमत की शर्त पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–12–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शान्तिलाल चपलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि रेस्पोन्डेन्ट ने सही सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो इसी आधार पर निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की भूमि से कभी भी रेस्पोन्डेन्ट का रास्ता नहीं रहा है, न ही वर्तमान में रास्ता मौजूद है। अपीलान्ट ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु काफी समय पूर्व तारबन्दी की थी एवं फाटक भी लगी हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोन्डेन्ट कभी भी अपीलान्ट की भूमि से नहीं आते जाते थे। पटवारी की रिपोर्ट में भी रेस्पोन्डेन्ट की भूमि में पूर्व से आने जाने हेतु आराजी नंबर 192 के पश्चिम दिशा में रास्ता रिकार्ड में कायम होना स्पष्ट है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रिपोर्ट में किसी प्रकार के रास्ते का अंकन नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर कीमतन रास्ते का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नंबर 192 में आने जाने का अन्य कोई बिलानाम रास्ता दर्ज नहीं होने तथा खातेदार की इसकी अत्यधिक आवश्यकता होना बताया बिन्दु संख्या 2 में सबसे न्यूनतम दूरी का बताया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डी.एल. सी. दर से दुगनी कीमत विपक्षी संख्या 1 को क्षति पूर्ति के रूप में अदा करने पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–11–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:19 IST
Reason: SelfAttested